अध्याय–10
संकर्म, संविदाएं और क्रय

174. पंचायती राज्य संस्थाओं द्वारा वार्षिक कार्य–योजना–(1) पंचायती राज संस्थाएं प्रत्येक वित्तिय वर्ष के प्रारंभ के पूर्व, पूर्ववर्ती वर्ष में आवंटित निधियों के अपने हिस्से के 125 प्रतिशत के मूल्य की समतुल्य एक वार्षिक कार्य योजना, अधिमान्यत, ग्राम सभा की वित्तीय वर्ष के अंतिम त्रिमास में आयोजित बैठक में तैयार करेगी। कोई भी कार्य नहीं लिया जा सकेगा जब तक वह वार्षिक कार्य–योजना का भाग नहीं हों।

(2) वार्षिक कार्य योजना बनाते समय अपूर्ण संकर्मो को पूरा करने को, नवीन कार्य हाथ में लेने की तुलना में, पूर्विकता दी जायेगी। कोई भी ऐसा कार्य नहीं लिया जायेगा जो दो वित्तीय वर्षो के भीतर–भीतर पूरा नहीं किया जा सकता हों।

(3) संकर्मो की योजना तैयार करते समय गांव के कमजोर तबके के हितों के संरक्षण का ध्यान रखा जायेगा और अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति, महिलाओं तथा ग्राम–समाज के अन्य कमजोर वर्गो के लाभ पहुंचाने वाले संकर्मो को पूर्विकता दी जायेगी।

(4) केवल वे ही संकर्म लिये जा सकेंगे जिनका आकार, लागत तथा प्रकृति ऐसी हैं कि वे स्थानीय स्तर पर कार्यान्वित किये जा सकते हो और जो कम साधन तथा लागत प्रभावी हों और उच्च स्तरीय तकनीकी आदांए अन्तर्वलित नहीं करते हो।

(5) लिये जाने वाले संकर्म चलने योग्य प्रकृति के होने चाहिए और समुचित तकनीकी स्तरमानों तथा विनिर्देशो के पूर्ति करने वाले होने चाहिए।

175. प्राक्कलन और दरों की सूची–(1) संबंधित पंचायती राज संस्था संकर्मो की योजना, ड़िजाईन या विनिर्देश और उनके निष्पादन में संभाव्यतः उपगत होने वाली लागत का प्राक्कलन अर्हता प्राप्त ओवरसीयर या अभियन्ता के जरिये या किसी अन्य अभिकरण के जरिये तैयार करायेगी।

(2) पंचायती राज संस्था ऐसे प्राक्कलन जिला परिषद्/जि.ग्रा.वि.अ. द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों में बतायी गयी दर–सूची के आधार पर कर सकेंगे।

(3) प्राक्कलन नियम 176 के उप–नियम (2) में उल्लिखित अधिकारियों द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोदित किये जायेंगे।

176. संकर्म की मंजूरी–(1) यदि इस प्रकार तैयार की गयी योजना डिजाईन या विनिर्देश का प्राक्कलन जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक का नहीं हो तो पंचायत, अपनी व्ययनाधीन निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन रहते हुए, संकर्म के निष्पादन को अपने संकल्प द्वारा मंजूर कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित सक्षम अधिकारी द्वारा तकनीकी अनुमोदन किया जायेगा।

(3) पंचायती राज संस्थाओं की कार्य योजना तकनीकी संवीक्षा को सुनकर बनाने के लिए जिला परिषद् जि.ग्रा.वि.अ. संकर्मो की उन मदों के मानक–ड़िजाईन और लागत प्राक्कलन तैयार और अनुमोदन कर सकेगा जो पंचायती राज संस्थाओं द्वारा हाथ में लिये जायें।

(4) संकर्म पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अनुमोदित लागत मानदण्ड़ों और समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी मंजूरियों के आधार पर निष्पादित किये जा सकेंगे।

177. सकंर्मो का निष्पादन–(1) नियम 176 के उप–नियम (4) के अधीन मंजूर किये गये संकर्म के निष्पादन का उत्तरदायित्व, इस नियम के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, मुख्य रूप से पंचायत/पंचायत समिति का होगा।

(2) किसी भी संकर्म का निष्पादन तब तक प्रारंभ नहीं किया जायेगा जब तक –

(क) वह सम्यक रूप से मंजूर न किया गया हो,

(ख) उसके लिए आवश्यक निधियां उपलब्ध न हो या उपलब्ध न करवा दी गयी हो,

(ग) तकनीकी अनुमोदन नियम 176(2) अथवा 176(3) के अनुसार अभिप्राप्त न कर लिया गया हो।

(3) पंचायतों तथा पंचायत समिति द्वारा निष्पादित संकर्मो के कुर्सी–स्तर,, छत–स्तर तक के और पूर्ण होने पर स्थल निरीक्षणों क लिए पंचायत समिति का कनिष्ठ अभियन्ता संकर्मों के संनिर्माण और तकनीकी विनिर्देशो की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने के लिए उत्तरदायी होगा। संकर्मो की मापों के ब्योरों की प्रविष्टि इस प्रयोजन के लिए रखी गई माप–पुस्तक में की जायेगी।

(4) पंचो/सदस्यों की समिति को स्थल पर ऐसे संकर्मो के निष्पादन को पर्यवेक्षण सौंपा जा सकेगा।

(5) पंचायतों/पंचायत समितियों के निरीक्षण के दौरान प्रत्येक मास, विकास अधिकारी स्थल पर 10 प्रतिशत संकर्मो का भौतिक सत्यापन करेगा और मुख्य कार्यपालक अधिकारी कम से कम 10 संकर्मो की जांच करेगा।

178. समापन का प्रमाणप्रत्र–(1) संबंधित पंचायती राज संस्था का यह कर्तव्य होगा कि वह समापन प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए संकर्म की समापन की रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर–भीतर करें।

(2) समापन प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए सक्षम तकनीकी अधिकारी एक मास के भीतर संकर्म का निरीक्षण करेगा और प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

(3) समापन प्रमाण–पत्र पर सरपंच और कनिष्ठ अभियन्ता दोनों के द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

179. सावधि प्रगति रिपोर्ट–(1) मासिक प्रगति रिपोर्ट संकर्मवार मंजूर रकम, मास के दौरान व्यय, संचयी व्ययों, भौतिक प्रगति, मजदूरी/सामग्री पर व्यय का प्रतिशत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला /भूमिविहीन श्रमिकों के नियोजन को उपदर्शित करते हुए तैयार की जावेगी।

(2) ऐसी रिपोर्ट अगले उच्चतर प्राधिकारी और जिला परिषद/जि.ग्रा.वि.अ. को भेजी जायेगी।

180. संकर्मो का रजिस्टर– (1) प्रत्येक पंचायती राज संस्था उसके द्वारा अपने जिम्मे लिए गये प्रत्येक संकर्मो के लिए प्रपत्र 25 में संकर्मो का एक रजिस्टर रखेगी।

(2) प्रत्येक संकर्म के लिए पृथक फाईल रखी जायेगी, जिसमें संबंधित संकर्म मंजूरी, प्राक्कलन, योजना आदि की प्रति रखी जायेगी।

(3) प्रत्येक संकर्म के लिए प्राप्त सार्वजनिक अंशदानों के लिए भी एक पृथक रजिस्टर रखा जायेगा।

181. ठेकेदारों पर प्रतिबंध– (1) सम्बधित पंचायती राज संस्था कोई भी संकर्म ठेकेदारो के माध्यम से निष्पादित नहीं करायेगी। किसी बिचौलिये को नहीं लगाया जायेगा ताकि संदत की जाने वाली मजदूरी का पूरा फायदा कर्मकारों को पहुंच सकें।

(2) तथापि पंचायती राज संस्थाएं संनिर्माण सामग्री के क्रय के लिए निविदाएं आमत्रित करने की प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात ऐसे कंर्म के लिए संविदा आधार पर सामग्री प्राप्त कर सकेगी।

संविदाएं और विलेख

182. पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा संविदाएं और उनकी ओर से विलेखो का निष्पादन– (1) किसी पंचायती राज संस्था द्वारा या उसकी और से की गयी समस्त संविदान ऐसी पंचायती राज संस्था के नाम से की गयी अभिव्यक्त की जायेगी।

(2) वे पंचायत की और से संरपच और सचिव द्वारा संयुक्त रूप से, पंचायत समिति की और से प्रधान और विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से, जिला परिषद की ओर से प्रमुख और मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से सत्यापित और हस्ताक्षरित की जायेगी।

क्रय

183. सामग्री का क्रय–(1) पंचायती राज संस्थाए संनिर्माण संकर्मो के लिए अपेक्षित सीमेन्ट, चूना, पत्थर, ईंटे, पट्टियां, बजरी, इत्यादि या कोई वस्तुएं न्यूनतम कीमतों पर अपाप्त करेगी।

(2) सामग्री विनिदेशों के अनुसार अच्छी गुणवता की और यदि मानक मद है तो आई. एस. आई मार्क की होनी चाहिए।

(3) सामग्री किसी ठेकेदार या बिचौलिये के माध्यम से क्रय की जाने की बजाय सीधें ही विनिर्माता या थोक प्रदायकर्ता से क्रय की जावेगी।

(4) पंचायती राज संस्था वर्ष के दौरान अपेक्षित ऐसी सामग्री के लिए मांग का निर्धारण कर सकेगी और यदि कुल मूल्य 30,000 रूपये से अधिक हो तो खुली निविदाएं आमंत्रित कर सकेगी।

(5) छोटे भागो में क्रय किये जाने को परिवर्जित किया जायें।

184. क्रयों का निविदाओं द्वारा किया जाना– **(1)** यदि क्रय 2000 रूपये के कम के लिए हो तो कोई भी निविदा अपेक्षित नहीं होगी और ऐसा क्रय फल एकल कोटेशन आधार पर या केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा अथवा जिला परिषद द्वारा दर संविदा पर किया जा सकेगा।

(2) 20,000/– रुपये तक के क्रय ऐसी सामग्री का व्यवहार करने वाले तीन से अन्यून प्रदायकर्ताओं से प्रतियोगी दरें आमंत्रित कर, सीमित निविदा आधार पर किये जा सकेंगे।

(3) यदि क्रय की रकम 20,000/– रुपये से अधिक हो तो मुहरबंद लिफाफे में खुली निविदाएं आमंत्रित की जायेगी।

185. निविदाएं आमंत्रित करने का नोटिस–(1) मुहरबंद लिफाफे में खुली निविदाएं आमंत्रित करने का नोटिस निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट करते हुए जारी किया जायेगा–

(क) अपेक्षित वस्तुए, मात्रा, गुणवत्ता के बारे में विनिर्देश तथा अनुमानित मूल्य और अन्य आवश्यक ब्योरे जैसे प्रत्येक मद के लिए अथवा ग्रुपों आदि में दरे उद्धरित की जायें।

(ख) संबंधित पंचायती राज संस्था के कार्यालय में निविदाएं प्रस्तुत करने की तारीख और समय।

(ग) निविदा के साथ जमा कराये जाने वाले प्राक्कीमत मूल्य का 2 प्रतिशत अग्रिम धन।

(घ) निविदाएं खोलने की तारीख और समय।

(ड़) निविदा स्वीकृत करने या उसे उसके लिए कोई कारण बताये बिना अस्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी।

(2) ऐसे निविदा नोटिस की प्रति हिन्दी में संबंधित पंचायती राज संस्था के कार्यालय में तथा ऐसे अन्य स्थानों पर, जो उपयुक्त समझे जाए, चिपकायी जायेगी और प्रतिष्ठित फर्मो, व्यवहारियों और प्रदायकर्ताओं को भी प्रतियां भेजी जायेगी।

(3) जिले में व्यापक प्रसार संख्या वाले कम से कम एक समाचार पत्र को विज्ञापन भेजा जायेगा।

(4) नोटिस की कालावधि निम्नलिखित होगी–

(क) यदि निविदा रकम 50,000/– रुपये तक हो तो एक सप्ताह

(ख) यदि निविदा रकम एक लाख तक हो तो पन्द्रह दिन

(ग) यदि निविदा रकम एक लाख रुपये से अधिक हो तो एक मास

परंतु अल्पालिक निविदाओं के मामलों में ऐसी कालावधि आधी कम की जा सकेगी।

186. निविदाओं का खोला जाना–(1) निविदाए, नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख और और समय पर, न कि उसके पूर्व, संबंधित पंचायत राज संस्था के कार्यालय में ऐसे निविदाकारों अथवा उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, जो उस समय उपस्थित हो, क्रय समिति द्वारा खोली जायेगी। यह सत्यापित किया जायेगा कि मुहर अविकल हैं तथा अधिकारियों द्वारा प्रत्येक निविदा पर उसे खोले जाने की तारीख और समय का पृष्ठांकन उपस्थित निविदा पर हस्ताक्षर करके किया जायेगा।

(2) क्रय समिति निम्नलिखित रूप में गठित की जायेगी–

(क) **पंचायत स्तर** –

(प) सरपंच (अध्यक्ष)
(पप) उप सरपंच
(पपप) सतर्कता समिति का अध्यक्ष
(पअ) सचिव

(ख) **पंचायत समिति स्तर**–

(प) प्रधान (अध्यक्ष)
(पप) विकास अधिकारी
(पपप) कनिष्ठ अभियन्ता
(पअ) पंचायत समिति का वरिष्ठतम लेखाकर्मी

(ग) **जिला परिषद् स्तर**–

(फर्नीचर, लेखन सामग्री, विद्यालय की वस्तुये और कार्यालय की मदों के क्रय के लिये दर संविदा)

(प) प्रमुख (अध्यक्ष)
(पप) मुख्य कार्यपालक अधिकारी
(पपप) जिला परिषद का लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी अथवा जिले का कोषाधिकारी
(पअ) कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी
(अ) जिले के दो विकास अधिकारी

(3) सभी निविदाये उनके सिवाय जो उन पर अभिलिखित कारणों से अस्वीकृत की गयी हैं, सारणी बद्ध और संवीक्षित की जावेगी और मद वार दरों का तुलनात्मक विवरण तैयार किया जायेगा।

187. निविदाओं की अस्वीकृति–जो निविदाये नियत तारीख और समय के पश्चात् प्राप्त हुयी हो या जो नियम 185 के अधीन जारी किये गये नोटिस की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती हो या जिनके साथ कोई अग्रिम धन नियत समय के भीतर जमा नहीं करवाया गया हो अन्यथा सहीं नहीं हो वे आम तौर पर अस्वीकृत कर दी जावेगी।

188. निविदाओं की स्वीकृति–(1) सभी वे निविदाएं जो समिति द्वारा खोले जाने पर सहीं पायी जाये और नियम 187 के अधीन अस्वीकृत नहीं की जाये, संबंधित पंचायती राज संस्था द्वारा अग्रिम रूप से अनुमोदन किये जाने के लिए रखी जावें।

(2) निम्नतम निविदा आमतौर पर स्वीकृत कर ली जायेगी और जहाँ निम्नतम निविदा को अस्वीकृत करवा आवश्यक समझ जायें वहाँ इसके कारणों को लेखबद्ध किया जाये।

(3) जब निविदा एक से अधिक वस्तुओं के सम्बन्ध में हो जैसे लेखन–सामग्री या संनिर्माण सामग्री तो प्रत्येक वस्तु के लिए या तो पृथक्–पृथक् रूप से या सभी वस्तुओं के लिये संयुक्ततः या वस्तुओं के विनिर्दिष्ट ग्रुपों के लिए, जहाँ तक स्वीकृत निविदा की कुल राशि निम्नतम हो, उनकी तुलनात्मक कीमतों पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि पंचायती राज संस्था निम्नतम निविदा का चयन करने का आशय उनमें से किसी भी रूप में निविदा नोटिस में स्पष्ट किया जाये।

(4) यदि निविदा पर सभी वस्तुओं के लिए या वस्तुओं के ग्रुपों के लिए संयुक्ततः विचार किया जाये तो सभी वस्तुओं के या यथास्थिति, प्रत्येक ग्रुप में की सभी वस्तुओं के सम्बन्ध में संभाव्य अपेक्षाओं की लागत प्रत्येक निविदा में दी गयी दरों के निर्देश से संगणित की जायेगी और निम्नतम निविदा वह होगी जिसके अनुसार एक साथ लिये जाने के लिए प्रस्तावित सभी वस्तुओं की संभाव्य अपेक्षाओं को कुल लागत की गणना न्यूनतम आती हो।

(5) पंचायत समिति अपने स्तर पर निर्माण सामग्री क्रय करने के लिए दरों को अंतिम रूप दे सकेगी और ऐसी दर सूची को अपनी अधिकाविता के भीतर की पंचायतों में मार्गदर्शन के लिए परिचालित कर सकेगी और उन वस्तुओं को उन्हीं दरों पर स्थानीय तौर पर उपाप्त कर सकेगी, किन्तु जो किसी भी मामले में ऐसी दरों से उच्चतर नहीं होगी।

(6) जहाँ निविदाकार के प्रदाय करने की क्षमता और सत्यानिष्ठा की जानकारी न हो वहाँ उसकी निविदा को अस्वीकृत किया जाना आवश्यक नहीं हैं ऐसे निविदाकार से ऐसी अतिरिक्त प्रतिभूति या बैंक गारंटी ली जा सकती है जो आवश्यक समझी जावें।

189. नयी निविदाएं आमंत्रित करना–यदि कोई भी निविदा स्वीकृत न की जाये और सामग्री, या मास का क्रय करना आवश्यक हो तो पूर्वगामी नियमों में प्रक्रिया के अनुसार नयी निविदा आमिंत्रित की जायेगी।

190. सहकारी सोसाईटियों से क्रय–यदि कीमत उचित हो और गुणवत्ता संतोषप्रद हो तो क्रय अधिकामान रजिस्ट्रीकृत सोसाईटी में से किये जाने चाहिए।

191. करार–(1) जब कोई निविदा स्वीकृत की जाये तो प्रपत्र संख्या 26 में करार का एक विलेख ऐसे फेरफारो सहित, जो कि मामले की परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित हो उस व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जावेगा जिसकी निविदा स्वीकृत की गयी हैं।

(2) ऐसे विलेख में उन शर्तो का स्पष्ट कथन होगा, जिनके अधीन ठेका दिया गया हैं और वह शास्ति विनिर्दिष्ट की जायेगी जिसके दायित्वाधीन वह निविदाकार उन शर्तो में से किसी के भी भंग के कारण होगा।

192. क्रय नियमों से छूट–नियम 183 से 191 तक में अन्तर्विष्ट कोई भी बात–

(क) राज्य सरकार के आदेशें पर उनके अभिकर्त्ताओं द्वारा जारी की गयी किसी अनुज्ञा के जरिये नियंत्रित दरों पर नियंत्रित वस्तुओं के,

(ख) राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी संस्था से वस्तुओं के,

(ग) जिले के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार या जिला परिषद् की दर संविदा पर वस्तुओं के,

(घ) किसी भी ऐसी वस्तु के, जिनका क्रय निविदाएं या कोटेशन आमंत्रित किये बिना राज्य सरकार के किसी भी साधारण या विशेष आदेश द्वारा अनुज्ञात हो, क्रय पर लागू नही होगी।